

बजट आवंटन-पूर्वदशम छात्रवृत्ति (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजना

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13 अंकों का कोड - 2225032770101
अनुदान संख्या-79

सेवा में,

✓ आहरण वितरण अधिकारी,
पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, मुख्यालय,
लखनऊ।

पत्रांक: 2640/पि0व0क0/राज्यांश/2017-18,

दिनांक: 28 फरवरी, 2018


विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रपुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत पूर्वदशम छात्रवृत्ति (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) योजना में स्वीकृत धनराशि का आवंटन।


महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अंतर्गत पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (50:50) के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 3797.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या 15/2017/670/64-2-2017-1(02)/2017, दिनांक 21.08.2017, शासनादेश संख्या 02/2018/12/64-2-2018-1(02)/2017, दिनांक 23.01.2018, शासनादेश संख्या 05/2018/119/64-2-2018-1(02)/2017, दिनांक 13.02.2018 द्वारा निर्गत कुल धनराशि रू0 3270.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 527.00 लाख तथा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (राज्य सेक्टर) से प्रश्नगत योजना में संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 563.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 1090.00 लाख जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित है, को शासनादेशों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपको संलग्न विवरण के अनुसार पूर्वदशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति वितरण कराये जाने हेतु आवंटित किया जाता है:-

1. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में अंकित दिशा निर्देशों, संगत वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार शासनादेश संख्या-625/64-2-2012, दिनांक 14 सितम्बर, 2012, शासनादेश संख्या-626/64-2-2012, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 तथा शासनादेश संख्या: 636/64-2-2013-1(141)/2003, दिनांक 19 नवम्बर, 2013, कार्यालय ज्ञाप संख्या-169/64-2-2016-1(141)/2003 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 द्वारा निर्गत पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली तथा शासनादेश संख्या-4/2016/170/64-2-2016-1(141)/2003 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत इंगित प्राविधानों से विचलन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक की अनुदान संख्या- 79 के अन्तर्गत (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) पक्ष के लेखा शीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.50/रा.50-के.+रा.) (जिला योजना)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
4. आवंटित धनराशि का किसी ऐसे मदों में व्यय कदापि न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो। ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक सीमित रखा जाय।


5. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
 6. नियमानुसार कोषागार से धनराशि का आहरण तभी किया जाय जब उसके भुगतान की तुरन्त आवश्यकता हो और एक बार में उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाय, जितनी भुगतान के लिए तुरन्त आवश्यक हो।
 7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लघु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
 8. वेतन का भुगतान योजना मद से न किया जाये। समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाये।
 9. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में बाऊचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से अलग से प्रपत्र बी0एम0-8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाये। इसका अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
 10. उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि का नियमानुसार आहरण एवं वितरण प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक अवश्य कर लिया जाय। कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखा-जोखा रखना अनिवार्य होगा।
 11. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण निदेशालय को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा:-
प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 35 पर अंकित है।
- संलग्नक:- यथोक्त।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृ0सं0: 2649/पि0व0क0/के0पूर्व0/2017-18, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन।
5. नियोजन अनुभाग-4
6. बिल सहायक, मुख्यालय।
7. योजनाधिकारी, मुख्यालय।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-28/02/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 004-Pre Matric CSP
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
277 - शिक्षा
01 -
01 - पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्र- वृत्ति(के. 50/रा.50-के.+ रा.) (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवैतन | योग |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-4701-निदेशक , लखनऊ-01-- | वर्तमान प्रगामी | 109000000 436000000 | 109000000 436000000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 109000000 436000000 | 109000000 436000000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ नब्बे लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तियालीस करोड़ साठ लाख


(सुषमा रानी) -

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी